



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-04112022-240027
CG-DL-E-04112022-240027

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4903]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 3, 2022/कार्तिक 12, 1944

No. 4903]

NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 3, 2022/KARTIKA 12, 1944

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 नवम्बर, 2022

का.आ. 5122(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि पश्चिम बंगाल राज्य के पश्चिम मेदिनीपुर जिले में NH116A के कि.मी. 0.000 से कि.मी. 56.500 (इकोनॉमिक कॉरिडोर का खड़गपुर-वर्धमान-मोरग्राम खण्ड) तक के भू-खण्ड के निर्माण (चौड़ीकरण/पेव्ड शोल्डर सहित 2-लेन/4-लेन का बनाना आदि), अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई भी व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर अपनी आपत्ति प्रकट कर सकेगा।

ऐसी प्रत्येक आपत्ति सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट & कलेक्टर, पश्चिम मेदिनीपुर को लिखित रूप में प्रस्तुत की जाएगी और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आपत्तिकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधिक पेशेवर द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसी आपत्तियों की सुनवाई के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आपत्तियों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के रेखांक और अन्य व्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

पश्चिम बंगाल राज्य के पश्चिम मेदिनीपुर जिले में NH116A के कि.मी. 0.000 से कि.मी. 56.500 (इकोनॉमिक कॉरिडोर का खड़गपुर-बर्धमान-मोरग्राम खण्ड) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण

राज्य का नाम: पश्चिम बंगाल		जिले का नाम: पश्चिम मेदिनीपुर			
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (स्थानीय इकाई)	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
तालुक का नाम: चन्द्रकोना- I					
गांव का नाम: जगन्नाथपुर (जे.एल. नं- 114)					
1	1151(P)	निजी	जल	0.0600000(एकर)	0.0242900
तालुक का नाम: चन्द्रकोना -II					
गांव का नाम: गोपालपुर (जे.एल. नं- 147)					
1	1201/2080(P)	निजी	खामार	0.0621000(एकर)	0.0251315
2	1303(P)	निजी	धानी सोइम	0.1868000(एकर)	0.0755969
3	1303/1954(P)	निजी	धानी सोइम	0.2200000(एकर)	0.0890400
4	1316/1957(P)	निजी	चारा बांस्तु	0.0400000(एकर)	0.0161900
5	687(P)	निजी	धानी सोइम	0.1978000(एकर)	0.0800486
6	877(P)	निजी	धानी सोइम	0.4824000(एकर)	0.1952246
तालुक का नाम: खड़गपुर - II					
गांव का नाम: लछमापुर (जे.एल. नं- 372)					
1	959(P)	अन्य(गवर्नमेंट/प्राइवेट)	जल	0.0175000(एकर)	0.0070822
गांव का नाम: समुद्रपुर (जे.एल. नं- 373)					
1	1097(P)	निजी	जल	0.1000000(एकर)	0.0404694
2	92(P)	निजी	काला	0.0800000(एकर)	0.0323800
तालुक का नाम: मेदिनीपुर सदर					
गांव का नाम: कमलापुर (जे.एल. नं- 253)					
1	1097/1600(F)	निजी	जल	0.0100000(एकर)	0.0040469
2	1127(P)	निजी	जल	0.2300000(एकर)	0.0930700

3	132/1614(P)	निजी	जल	0.8554000(एकर)	0.3461756
कुल				2.5420	1.0287

[फा. सं. EC/LA/PIU(KGP)/2022-23/3A]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 3rd November, 2022

S.O. 5122(E).—In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building (widening/two lane with paved shoulder/four laning etc.), maintenance, management and operation of NH116A (Kharagpur - Bardhaman – Moregram Section of Economic Corridor) in the stretch of land from Km. 0 to Km. 56.500 in the district of PASCHIM MEDINIPUR in the state of WEST BENGAL, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section (1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the Competent Authority, namely, District Magistrate & Collector, Paschim Medinipur in writing and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land to be acquired under their notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Brief Description of the land to be acquired with or without structures falling in the stretch of land from NH116A (Kharagpur-Bardhaman–Moregram Section of Economic Corridor) in the district of PASCHIM MEDINIPUR in the state of WEST BENGAL

State: WEST BENGAL			District: Paschim Medinipur		
Sr. No.	Survey/Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Local Unit)	Area (in Hectare)
Taluk: Chandrakona-I					
Village: Jagannathpur (J.L No. 114)					
1	1151(P)	Private	Jal	0.0600000(Acre)	0.0242900
Taluk: Chandrakona-II					
Village: Gopalpur (J.L No. 147)					
1	1201/2080(P)	Private	Khamar	0.0621000(Acre)	0.0251315

2	1303(P)	Private	Dhani Soem	0.1868000(Acre)	0.0755969
3	1303/1954(P)	Private	Dhani Soem	0.2200000(Acre)	0.0890400
4	1316/1957(P)	Private	Chhara Bastu	0.0400000(Acre)	0.0161900
5	687(P)	Private	Dhani Soem	0.1978000(Acre)	0.0800486
6	877(P)	Private	Dhani Soem	0.4824000(Acre)	0.1952246
Taluk: Kharagpur-II					
Village: Lachhmapur (J.L No. 372)					
1	959(P)	Common(Government/Private)	Jal	0.0175000(Acre)	0.0070822
Village: Samudrapur (J.L No. 373)					
1	1097(P)	Private	Jal	0.1000000(Acre)	0.0404694
2	92(P)	Private	Kala	0.0800000(Acre)	0.0323800
Taluk: Medinipur Sadar					
Village: Kamalapur (J.L No. 253)					
1	1097/1600(F)	Private	Jal	0.0100000(Acre)	0.0040469
2	1127(P)	Private	Jal	0.2300000(Acre)	0.0930700
3	132/1614(P)	Private	Jal	0.8554000(Acre)	0.3461756
Total				2.5420	1.0287

[F. No. EC/LA/PIU(KGP)/2022-23/3A]

RAJESH GUPTA, Director